प्रतिलिपि आदेश दिनांक 07–10–15 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक रिव्यू 2814–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–8–15 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निगरानी 1212–एक/15.

———

श्रीमती जसौदा पत्नि श्री कृष्ण वरेठा, निवासी उदोतपुरा, वृत्त पीपरी, तहसील व जिला भिण्ड (म0प्र0)

-- आवेदिका

बनाम

1. श्रीमती बकेली पुत्री राजाराम पत्नि भिखारीलाल वरैठा, निवासी ग्राम विजपुरी (लावन), जिला भिण्ड (म0प्र0)
2. श्रीमती शीतला उर्फ सावित्री पुत्री राजाराम पत्नि रामेश्वर, निवासी श्री कृष्णनगर, भिण्ड, तहसील व जिला भिण्ड (म0प्र0)
3. श्रीमती श्रीदेवी पुत्री राजाराम पत्नि कालीचरण, निवासी ग्राम अवारी (उदी), जिला इटावा (उ0प्र0)

-- अस्ल अनावेदकगण

4. रामकली वैवा श्री राजाराम वरठ,
5. श्री कृष्ण पुत्र श्री राजाराम वरेठा, निवासी ग्राम उदोतपुरा, तहसील व जिला भिण्ड (म0प्र0)

-- तरतीवी अनावेदकगण

पुनर्विलोकन आधीन धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959
निगरानी प्रकरण क्रमांक 1212/I/2015 आदेश दिनांक 17-8-15
का पुनर्विलोकन किये जाने बाबत।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक रिव्यू 2814–एक/15 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07–10–2015	आवेदक की ओर से श्री सुनील जादौन, अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 1212–एक/15 में पारित आदेश दिनांक 17–8–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा पुनरावलोकन आवेदन की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया । संहिता की धारा 51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता के अनुसार निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन विचारार्थ ग्राह्य किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के प चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में उक्त आधारों में से एक भी आधार विद्यमान नहीं है । जो तर्क पुनरावलोकन के लिए आवेदक की ओर से दिए गए हैं उन सभी तर्कों को पूर्व में भी निगरानी प्रकरण में सुनवाई के समय आवेदक द्वारा उठाया गया था जिन पर विधिवत विचार करके आलोच्य आदेश पारित किया गया है । न्यायदृष्टांत 1992 आर0एन0 247 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आपत्तियां यथासमय उठाई गई हों और विनिश्चित की गई हों तब वही आपत्तियां पुनरावलोकन का आधार नहीं हो सकतीं । उक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में यह पुनरावलोकन ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य किया जाता है । सदस्य	